न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर, (प्रशासन) चितौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी : मुकेश कुमार कलाल, आर.ए.एस.

प्रकरण सं. 08/2016 (निगरानी पंचायत) दायर दिनांक 23.02.2016

1. अमरचन्द पिता हेमा ओड़ उम्र वयस्क निवासी लसाड़िया खुर्द तहसील राशमी जिला चितौड़गढ़।
2. मोहनलाल पिता हेमा ओड़ उम्र वयस्क निवासी लसाड़िया खुर्द तहसील राशमी जिला चितौड़गढ़।
3. प्यारी बाई पत्नीहेमा ओड़ वयस्क लसाड़िया खुर्द तहसील राशमी जिला चितौड़गढ़।

प्रार्थीगण/निगराकार

बनाम

1. श्यामलाल पिता उंकार ओड़ आयु वयस्क निवासी लसाड़िया खुर्द तहसील राशमी जिला चितौड़गढ़।
2. ग्राम पंचायत जाड़ाना जरिये सरपंच ग्राम पंचायत जाड़ाना तहसील राशमी जिला चितौडगढ़ (राज0)।

विपक्षीगण/गैर निगराकार

निगरानी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 विरूद्ध ग्राम पंचायत जाडाना पंचायत समिति राशमी द्वारा जारी पट्टा संख्या 039 दिनांक 09.04.2013

<u>उपस्थित</u> :– वकील निगराकार :– श्री राजेन्द्र सुखवाल

<u>निर्णय</u> दिनांक 11.11.2019

उपरोक्त अनवान प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि वकील प्रार्थीगण/निगराकार ने एक प्रार्थना पत्र विरूद्व ग्राम पंचायत जाडाना पंचायत समिति राशमी जिला चितौड़गढ़ के निगरानी हेतु इस आशय का प्रस्तुत किया की ग्राम पंचायत द्वारा विपक्षी संख्या 01 श्यामलाल के नाम पर आवासीय भूमि का पट्टा संख्या 039 दिनांक 9.4.2013 को जारी किया है वह पट्टा न्याय, नियम एवं विधि के विपरित है जो निरस्त किये जाने योग्य है। विपक्षी संख्या 03 ग्राम पंचायत द्वारा जारीशुदा उक्त विवादित पट्टा वाली भूमि पक्षकारान की पैतृक संपत्ति होकर उस पर प्रार्थीगण का कब्जा चला आ रहा है। जिसका प्रार्थीगण का पारिवारिक सजरा निम्न प्रकार है:–

हेमा (मृत)

।

———————————————————————————

अमरचन्द	मोहनलाल	उॅकारलाल (फोत)	प्यारी
(पुत्र)	(पुत्र)	(पुत्र)	(पत्नी)
		।	
		यामलाल	

जिसका उक्त सजरा अनुसार प्रार्थीगण एवं विपक्षी संख्या 01 के पूर्वजो का पुश्तैनी मकान रहा है। उक्त आवासीय पट्टे वाली भूमि पर सभी पक्षकारान काबिज होकर उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है। जिसका किसी प्रकार से पक्षकारान के मध्य कानूनी रूप से विधिवत न्यायालय से आपसी सहमति का बंटवारा नहीं हुआ है। गैर निगराकार संख्या 01 एवं 02 ने मिलीभगत से निगराकार को अपने पुश्तेनी मकान से वंचित करने के लिए अधीनस्थ ग्राम पंचायत से अवैध तरीके से उक्त पट्टा प्राप्त कर लिया है। ग्राम पंचायत ने विपक्षी संख्या 01 को नाजायज लाभ पहुंचाने के नियत से अवैध पट्टा संकल्प संख्या 02 दिनांक 09.04.2013 को जारी कर दिया। पट्टा जारी करने से पूर्व उजरदारी आमंत्रित नहीं की गई। जबकि उक्त प्रस्ताव का निरन्तर दो बैठकों में उसका स्वीकृत होना आवश्यक है। उक्त पट्टा प्रशासन गावों के संघ अभियान 2013 में दिया गया है जिस पर सचिव के हस्ताक्षर नहीं है तथा किस आराजी का पट्टा दिया गया यह भी पट्टें में वर्णित नहीं है। उक्त सभी तथ्यों पर गौर किये बगैर पट्टा जारी किया गया है उसे निरस्त फरमावें। अतः निगराकार की निगरानी स्वीकार फरमाई जावें एवं एवं उक्त अधीनस्थ न्यायालय ग्राम पंचायत जाडाना पंचायत समिति राशमी द्वारा जारी किया गया पट्टा संख्या 039 दिनांक 09.04.2013 निरस्त फरमाया जावें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैर निगराकार को सूचना पत्र जारी किये गये, जो बाद तामिल प्राप्त हुए। गैरनिगराकार की और से कोई उपस्थित नही आने से गैर निगराकार के विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही के निर्देश दिये गये।

प्रकरण में ग्राम पंचायत जाडाना से रेकार्ड तलब किया गया। ग्राम पंचायत जाडाना के पत्र क्रमांक ग्राम पंचायत/2016–17/01 दिनांक 04.04.2016 से अवगत कराया कि उक्त प्रकरण के संबंध में मांगा गया रेकार्ड में पट्टा संख्या 39 की प्रमाणित प्रति भिजवाई गई एवं केशबुक व बैठक कार्यवाही रजिस्टर में कोई उल्लेख नही होना बताया।

प्रकरण में बहस वकील निगराकार की एक तरफा सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज एवं रेकार्ड का अवलोकन किया। प्रकरण में अधिनस्थ न्यायालय ग्राम पंचायत जाडाना पंचायत समिति राशमी द्वारा जारी आवासीय भूमि पट्टा संख्या 039 दिनांक 09.04.2013 में अनियमितता की है। प्रकरण के पक्षकारों को नही सुना जाकर एवं प्रकरण में जारी पट्टा में भी भूमि का विवरण (आराजी नम्बर इत्यादि) अंकित नही किया है। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अनियमितता की है। अतः प्रकरण में ग्राम पंचायत जाडाना पंचायत समिति राशमी द्वारा जारी पट्टा संख्या 039 दिनांक 09.04.2013 को निरस्त किया जाता है। संबंधित पक्षकार विधिवत पट्टा प्राप्त करने हेतु सक्षम न्यायालय में चाराजोही करने के लिये स्वतंत्र है।

निर्णय आज दिनांक 11.11.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर लिखवाया गया।

(मुकेश कुमार कलाल)
अतिरिक्त कलक्टर,
(प्रशासन),चित्तौड़गढ

Signature Not Verified
Digitally signed by Mukesh Kumar
Date: 2019.11.19 16:08:29 IST
Reason: SelfAttested
Location: